अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश क्रंम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

23/11/17

भू–मापी अभिलेख संख्या–17 / 2017–18

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 अल्लाउद्दीन पिता–फरीद अंसारी सा0–पुपुनकी आश्रम, टोला–जोल्हाडीह, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो द्वारा दिये गये आवेदन पर भूमि मापी वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई, जो मौजा–चास के खाता नं0–681, प्लॉट नं0–3680 रकवा–0.06½ ए0 भूमि के आवेदन पर भू–मापी अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है, जिसमें दिनांक 17.05.2017 को मापी के क्रम में द्वितीय पक्ष रजिया बेगम पति–मोगल खान, सा0–नियर गायत्री मंदिर एम0एम0 टावर के सामने, (शिव शक्ति नगर), थाना–चास, जिला–बोकारो द्वारा लिखित आपत्ति दायर किया गया है, जिसमें अमीन द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों का कागजातों के उपरान्त सुनवाई करते हुए मापी की तिथि निर्धारित की जाए। इस संबंध में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित आपत्ति दायर किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है, कि हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 29.06.2017 निर्गत कर थाना प्रभारी चासथाना को उपरोक्त वर्णित भूमि पर स्थित मकान के विस्तार कार्य को भू–मापी होने तक रोकवा दिया गयाथा। जिसकी जानकारी मिलने पर द्वितीय पक्ष रजिया बेगम की पुत्री आरजु आपके कार्यालय में उपस्थित होकर जमीन संबंधी सारे दस्तावेज को दिखाते हुए उसकी फोटो प्रति उपलब्ध करायी, फिर भी अंचल कार्यालय चास से अंचल अमीन सुभाष चन्द्र महतो, अंचल कर्मचारी आलोक कुमार गुप्ता एवं जमीन का दलाल शिवराम शेखर एवं आशुतोष दुबे ने बिना द्वितीय पक्ष सं0–01 के सहमति लिये उसके घर में घुसकर उक्त वर्णित 0.06½ ए0 भूमि का मापी किया।

पुनः आपके हस्ताक्षर द्वारा ज्ञापांक 1443, दिनांक 06.07.2017 निर्गत कर द्वितीय पक्ष सं0–01 को निर्देश दिया गया कि वह अपना लिखित जवाब तथा राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। साथ ही साथ थाना प्रभारी चास को निर्देश दिया गया कि द्वितीय

c.c. issued
11.12.17
c.c. issued
5.1.18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	रम सं0

पक्ष सं0–01 के दखल–कब्जे वाली जमीन 0.06½ ए0 पर कोई निर्माण कार्य मापी की प्रक्रिया पुरी होने तक रोक दिया जाय।

पूर्व में आपके कार्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक सं0–1443, दिनांक 06.07.2017 प्राप्त होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष सं0–01 उसके अनुपालन में अंचल कार्यालय में दिनांक 08.07.2017 को उपस्थित होकर अपने सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपना पक्ष मौखिक रूप में रखा तथा अपने मूल दसतावेज की फोटोप्रति उपलब्ध करायी। दिनांक 08.08.2017की तिथि को हस्ताक्षरित आपके कार्यालय द्वारा निर्गत भू–मापी अभिलेख सं0–17/2017–18 जो श्री सुभाष चन्द्र महतो अंचल अमीन चास को सम्बोधित था, कि प्रति द्वितीय पक्ष सं0–01 को प्रेषित कर सूचित किया गया कि उपरोक्त वर्णित जमीन का मापी दिनांक– 22.08.2017 को किया जाना है तथा उसका मापी प्रतिवेदन अंचल अमीन द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना है। द्वितीय पक्ष सं0–01को आजतक यह समझ में नहीं आ रहा कि उसे बार–बार आपके कार्यालय द्वारा आपके हस्ताक्षर से नोटिस निर्गत कर उसके दखल–कब्जे वाली उपरोक्त वर्णित 0.06½ ए0 जमीन जिस पर उसका घर मकान तथा चारों ओर चाहरदिवारी बना हुआ है, जिसमें वह सपरिवार रहती आ रही है, कि मापी द्वितीय पक्षसं0–01 के इच्छा के विरूद्ध करा लिये जाने पश्चात् भी मूल दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बार–बार बाध्य किया जा रहा है, जबकि उसने पूर्व में ही अपनी उक्त वर्णित जमीन के संदर्भ में सभी दस्तावेजों की मूल प्रति आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है तथा सभी दस्तावेजों की फोटों प्रति आपके कार्यालय में समर्पित कर चुकी है। द्वितीय पक्ष द्वारा यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि उक्त जमीन द्वितीय पक्ष ने निबंधित बिक्री दलील सं0–3369, दिनांक 25.06.2003 एवं 5823, दिनांक 27.01.2004 द्वारा रामअनादी ठाकुर से खरीदकर उसका दाखिल–खारिज अपने नाम से कराया तथा द्वितीय पक्ष सं0–01 के नाम से दो जमाबंदी सं0–27/29 एवं 564/31 जमाबन्दी

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेख में दर्ज है तथा वह लगातार सरकार को लगान भुगतान करती आ रही है। उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष सं0–01ने चाहरदिवारी का निर्माण कराया है तथा उसके अन्दर आवासीय निवास स्थान का निर्माण माडा द्वाा अनुमोदित नक्शा अनुसार कराया है तथा बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन भी प्राप्त किया है। द्वितीय पक्ष सं0–01 दिनांक 25.06.2003 एवं 27.01.2004 से उपरोक्त वर्णित जमीन पर लगातार शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में चली आ रही है। जहाँ तक प्रथम पक्ष मो0 अलाउद्दीन द्वारा उपरोक्त वर्णित जमीन के संदर्भ में किया जा रहा दावा कि जमीन उसकी है तथा उक्त जमीन का मापी करया जाय, कदाचित न्यायपूर्वक नहीं है, क्योंकि उक्त जमीन उसके दखल–कब्जा में नहीं है तथा वह जमीन द्वितीय पक्ष सं0–01के दखल–कब्जे मेंहै, जिसपर चाहरदिवारी, मकान बनाकर उसमें परिवार के साथ रहती आ रही है। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष सं0–01 को उसके दखल–कब्जे वाली उपरोक्त वर्णित जमीन की मापी हेतु बाध्य किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रथम पक्ष मो0 अलाउद्दीन का उक्त वर्णित जमीन पर किसी भी प्रकार का स्वत्व एवं अधिकार के संबंध में कोई दावा है तो वह अपने दावा हेतु सक्षम दिवानी न्यायालय का शरण ले सकता है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में प्रथम पक्ष मो0 अलाउद्दीन आपके द्वारा द्वितीय पक्ष सं0–01 के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में हस्तक्षेप कर उक्त जमीन की मापी कराने हेतु द्वितीय पक्ष सं0–01 को बाध्य करने का अधिकारी नहीं है।

द्वितीय पक्ष के जवाब के आधार पर अमीन द्वारा दिनांक 22.08.2017 को मापी करने स्थल पर गये। मापी के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि भू–मापी अभिलेख सं0–17/2017–18 प्रथम पक्ष मो0 अलाउद्दीन पिता–फरीद अंसारी बनाम् रजिया बैगम पति वगल खान एवं कौशल सिंह पिता नामालुम से संबंधित जमीन मौजा–चास खाता नं0–681, प्लॉट नं0–3680 माप–06.5 डिसमील भूमि परमापी एवं स्वामित्व से संबंधित मामला इस अंचल कार्यालय मेंचल रहा है। जिसके संबंध में विपक्षी द्वारा बताया गया कि हमलोगों का इसी जमीन से संबंधित एक

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ… कार्र… टिप्प…
	मामला जिसका एम0पी0 केश नं0–388/2009 अनुमण्डल पदाधिकारी चास के न्यायालय में पूर्व से चल रहा है। जिसके साक्ष्य में उनके द्वारा अपीलकी प्रति समर्पित किया गया है, जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1143 दिनांक 06.07.2017 जिसमें थाना प्रभारी, चास को प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु आदेश दिया गया था जिसे विलोपित किया जाता है। अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मामला माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में लम्बित है। जब तक न्यायालय का कोई अंतिम आदेश पारित नहीं होता है तब–तक मापी कार्य स्थगित रखा जाता है। अंचल अधिकारी चास।	